



प्रेषक,

चन्द्र भूषण

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 17 फरवरी, 2026

विषय: प्रथम अपील संख्या-1125/2025 उ०प्र० राज्य व अन्य बनाम शफीक अहमद में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 के अनुपालन में धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-31/मु०अ०(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/मध्यगंगा, दिनांक 21.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मध्यगंगा नहर निर्माण खण्ड-6 से संबंधित प्रथम अपील संख्या-1125/2025 उ०प्र० राज्य व अन्य बनाम शफीक अहमद में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 के अनुपालन हेतु धनराशि रुपये 97,78,439.00 (सत्तानवे लाख, अठहत्तर हजार, चार सौ उन्तालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भुगतान करने के पूर्व पुनः एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवृत्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरुद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 97,78,439.00 (सत्तानवे लाख, अठहत्तर हजार, चार सौ उन्तालिस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-31-050-10-16-24 भारित मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दम-2025-231/2025, दिनांक 27-मार्च 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
चन्द्र भूषण
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- (3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- (4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- (5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।
- (6) मुख्य अभियन्ता (मध्यगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अलीगढ़।
- (7) अनु सचिव (लेखा) / आहरण बितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (8) कोषाधिकारी, मेरठ।
- (9) अधीक्षण अभियन्ता, मध्यगंगा नहर निर्माण मण्डल-प्रथम, मेरठ।
- (10) अधिशासी अभियन्ता, मध्यगंगा नहर निर्माण खण्ड-6, मेरठ।
- (11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
उप सचिव।